भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.118

25.11.2024 को उत्तर के लिए

हाथियों की गणना

118. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत के हाथियों की संख्या का पता लगाने के लिए नये सिरे से हाथी गणना कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में हाथियों की संख्या के समक्ष खतरा उत्पन्न करने वाली विकास परियोजनाओं की पहचान करने और उन्हें प्रतिबंधित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन्यजीव संस्थान और राज्य वन विभागों के समन्वय से वर्ष 2022-23 में एक 'अखिल भारतीय समकालिक हाथी आकलन' शुरू किया है।

(ग) हाथी संरक्षण सहित वन्यजीव पर्यावासों का प्रबंधन मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। हाथी रिजर्वों का अधिकांश भाग बाघ रिजर्वों, संरक्षित क्षेत्रों, आरक्षित वन और संरक्षित वन क्षेत्रों में भी फैला हुआ है जिन्हें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और अन्य राज्य अधिनियमों के अंतर्गत संरक्षित किया जाता है। अवसंरचना विकास परियोजनाओं से संबंधित कार्यकलाप मौजूदा अधिनियमों, नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार विनियमित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विकासात्मक परियोजनाओं में, जहां भी लागू हो, आवश्यक निवारक उपाय भी किए जाते हैं।

*****